न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर।

सत्र परीक्षण संख्या-175/2019

स्टेट बनाम अभिषेक सिंह उर्फ सावले व अन्य

दिनांक 13.03.2026

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ सावले की ओर से प्रार्थनापत्र 19 ख मय शपथपत्र 20 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 175/2019 की पत्रावली में न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान/समनिंग आदेश दिनांकित 02.02.2019 को निरस्त कर दिया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में पत्रावली की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें। प्रार्थनापत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.09.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

मेरे द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या 9603/2025 अभिषेक सिंह उर्फ सांवले और चार अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.09.2025 का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के मध्य हुए समझौते के आधार पर पत्रावली में पारित समनिंग/प्रसंज्ञान आदेश दिनांकित 02.02.2019 को निरस्त (Quashed) कर दिया है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या 9603/2025 अभिषेक सिंह उर्फ सांवले और चार अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.09.2025 के अनक्रम में पत्रावली की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जौनपुर।

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.13 16:47:54 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court
Jaunpur